कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी,बुलन्दशहर ।

पत्रांक /सि0 पें0/कोषा0/2018–2019,
दिनांक 24/05/2018

समस्त आहरण–वितरण अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष),
जनपद–बुलन्दशहर ।

विषयः *वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन के सम्बन्ध में ।*

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी,बुलन्दशहर के पत्र संख्या 154/सि0पें0/कोषा0/2018–2019 दिनाँक 11/05/2018 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग–3,उ0प्र0 शासन,लखनऊ के शासनादेश संख्या–सा–23/2017/सा–3–329/दस–2017/308/2016 दिनाँक 18 जुलाई 2017 एंव शासनादेश संख्या–सा–31/2017/सा–3–524/दस–2017/308(8)/2016 दिनाँक 04 सितम्बर 2017 के अनुपालन में वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत रूचि लेकर निस्तारण कर अनुपालन आख्या दिनाँक 22/05/2018 तक कोषागार में प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित किया गया है ।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी,महोदय के आदेश दिनाँक 11/05/2018 के अनुपालन में दिनाँक 25/05/2018 को समय दोपहर 12 बजे से जिला पंचायत सभागार बुलन्दशहर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है,जिसमें उक्त के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना सहित उपस्थित होनें का कष्ट करें ।

(आत्म प्रकाश बाजपेई)
मुख्य कोषाधिकारी,
बुलन्दशहर

पत्राँकः 1060-III/सि0 पें0/कोषा0/2018–2019, दिनाँक उपरोक्त ।
प्रतिलिपि –

1– जिलाधिकारी,महोदया,बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ।
2– अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत,बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त दिनाँक को आवश्यक व्यवस्था करानें का कष्ट करें ।
3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि इस पत्र को जनपद बुलन्दशहर की वैबसाईट पर अपलोड करायें ।

(आत्म प्रकाश बाजपेई)
मुख्य कोषाधिकारी,
बुलन्दशहर
24/05/18